

फार्म  
अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2016-17

21 DEC 2016  
Inward No. 1750

कमांक - (77)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016-17

1 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम के.के. उपाध्याय

2 वर्तमान धारित पद

अति. कामा. सहा. प्र. 2

3 कार्यालय का नाम -

कार्रपालन मंत्री डा.डा. (संघ) ज्वालिका

4 वर्तमान वेतन 18220/- 3800/- (G.P.)

5 भविष्य निधि कमांक

25954700

6 कर्मचारी संख्या

93397519 (KKU)

उस जिले, उपसमाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ज्वालिका	प्लॉट 200 क्वी.मी. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ज्वालिका	-	500000 (अनुमानित)	स्वयं के नाम पर कृप पट्टा	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) से कृप किफात प्राप्त	निरंक	निरंक
ज्वालिका	फ्लैट जालव नगर ज्वालिका	-	12 लाख	स्वयं	स्वयं की बचत एवं प्र. को बैंक से कृप लेका तथा LIC एवं PLI से फालिही पर कृप प्राप्त करके	निरंक	निरंक

ESM  
27/11/16

हस्ताक्षर (Krupa Singh)  
नाम के.के. उपाध्याय  
पदनाम अति. कामा. सहा. प्र. 2

- ... जहाँ लागू न हो काट दीजिये
- ... ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये
- ... इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी** - मण्डल द्वारा गृह मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने के अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वात्विकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।